न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिकी/टीए/1222/2006/बांरा

मु0 मौत्या पुत्री श्री गंगाराम जाति जाटव निवासी फतेहपुर तहसील व जिला बांरा

.......अपीलार्थी

बनाम

1– छीतरलाल
2– मदनलाल
3– रामगोपाल
पुत्रान रतनलाल जाति मीणा, निवासी खोडली केशों तहसील व जिला बांरा
4– रामभरोसी पत्नि स्व0 श्री रतनलाल जाति मीणा, निवासी खोडली केशों तहसील व जिला बांरा (तर्क)
5– श्यामलाल पुत्र आशाराम (मृतक) जरिये कायम मुकामः–
5/1. बद्रीबाई पत्नि श्यामलाल
5/2 सत्यनारायण पुत्र श्यामलाल
5/3. शिवप्रकाश पुत्र श्यामलाल
5/4. कमलेशबाई पुत्री श्यामलाल
6– बाबूलाल पुत्र आशाराम
समस्त जाति मीणा निवासी थामली तहसील व जिला बांरा
7– पाराबाई पत्नि बालचंद उर्फ बालजी पुत्री आशाराम जाति मीणा निवासी सोकन्दा तहसील मांगरोल जिला बांरा
8– बद्रीबाई पत्नि आशाराम जाति मीणा निवासी थामली तहसील व जिला बांरा
9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांरा जिला बांरा

.............प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :–

श्री मुकेश जैन, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
श्री अशोकनाथ योगी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांकः– 7–10–25

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–11–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलान्ट ने न्यायालय उपखंड अधिकारी बांरा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 90, 183, 188 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खोडली केशों तहसील बारां में आराजी खसरा नंबर 314/119 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा पुनः निर्धारित खसरा नंबर 132 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा तथा हाल खसरा नंबर 166 रकबा 2.20 हैक्टयर अपीलार्थी वादीनी एवं अपने काका हरलाल के हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड थी। प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 27–11–71 को इंतकाल नंबर 61 से अपने नाम नामांतरकरण तस्दीक करवा लिया। जिसे निरस्त कर वादीनी अपीलार्थी को खातेदार घोषित कर अपने हिस्से पर कब्जा दिलाया जावे। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अपने निर्णय दिनांक 30–7–02 द्वारा खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–11–05 द्वारा खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। विवादित आराजी संवत् 2002 से 2005 अपीलार्थी वादिनी मौत्याबाई पुत्री गंगाराम जरिये वली काका हरलाल व हरलाल

बेटा बुद्धा हिस्सा बराबर दर्ज थी जिसे वादिया ने विचारण न्यायालय में साबित किया था। अपीलार्थी वादिनी की नाबालिग अवस्था का नाजायज लाभ उठाते हुये उसके काका सहखातेदार हरलाल ने अपीलार्थी का हिस्सा अवैधानिक रूप से अपीलार्थी को बिना किसी जानकारी के 1950/—रूपये में रेस्पोडेंट सं.1 से 3 के पिता व रेस्पोडेंट सं.4 के पति रतनलाल तथा रेस्पोडेंट सं.5 आशाराम को बेच दी, जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। उक्त बेचान वादिनी के हिस्से तक प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी है। विवादित नामांतरकरण विक्रय पत्र दिनांक 15—5—50 के आधार पर खोला गया, जिस वक्त अपीलार्थी वादिनी को सुना जाना न्यायोचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक था। विवादित नामांतरकरण सन् 1950 के विक्रय पत्र के आधार पर 21 वर्ष बाद 1971 में खोला जाना विधि विरूद्ध था। अधीनस्थ न्यायालयों ने वाद यह अंकित करते हुये खारिज कर दिया कि विक्रय पत्र सिविल न्यायालय से खारिज करवाना चाहिये था। अपीलार्थी वादिनी को अपनी नाबालिग अवस्था के समय से ही हरलाल अपीलांट वादिनी के हिस्से की आराजी का मुनाफा देता रहा जो उसकी मृत्यु तक बदस्तुर रहा इसलिये विक्रय पत्र पंजीयन कराने तथा विवादित नामांतरकरण की जानकारी अपीलार्थी वादिनी को नहीं थी। विचारण न्यायालय ने वादी के अनुतोष के आधार पर इस संबंध में आवश्यक तनकीयात कायम नहीं की। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलार्थी का वाद नियमों के विरूद्ध खारिज किया है। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे तथा वादग्रस्त आराजी का वादी अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी का वाद विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत साबित नहीं होने की स्थिति में आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये खारिज किया है जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय द्वारा किया गया है। रेस्पोडेंट के पक्ष में विवादित भूमि की खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व विक्रय कर दिया था तथा सन् 1955 से पूर्व अनुसूचित जाति की खातेदारी में दर्ज भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचान किये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। विवादित भूमि का विक्रय मूल

खातेदार द्वारा उचित प्रतिफल प्राप्त किया जाकर कब्जा संभला दिया गया था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें विधि अथवा तथ्य सम्बंधी किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि नहीं होने से हस्तगत् अपील खारिज की जावें। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने 2009 आरबीजे पेज 725, 2000 आरबीजे पेज 133 व 341, 1998 आरबीजे पेज 10 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया।

5— अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली के साथ दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89 90, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी बांरा में अपने निर्णय दिनांक 30—7—02 द्वारा खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील निर्णय दिनांक 16—11—05 द्वारा खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वादिया/अपीलांट तथा हरलाल द्वारा विवादित भूमि का बेचान दिनांक 15.5.50 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी/ रेस्पोंडेंट के पक्ष में किया जाना प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है तथा उसी के आधार पर प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट के नाम नामान्तकरण सं. 61 तस्दीक किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तथा प्रतिवादी के जवाबदावे एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर परीक्षण —न्यायालय ने अनुतोष सहित 7 तनकियात कायम करते हुए प्रत्येक तनकी का लिखित अभिकथन, दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विस्तृत विवेचन किया है। परीक्षण न्यायालय ने तनकी नं.1 के विवेचन में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह माना है कि प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 1 जो संवत् 2002 —2005 के लिये है, जिसमें खसरा नंबर 314/119 के खातेदार संवत् 2002 में गंगराम बेटा बुद्धा व संवत् 2003 में खातेदार मु0 मोत्या का नाम इंतकाल सं. 520 से जरिये वाली वाल्दा खुद व हरलाल हिस्सा बराबर में दर्ज है तथा संवत् 2004 में मोत्यां बेटी गंगाराम नाबालिग जरिये वली काका हरलाल (इंतकाल सं. 536 से) व हरलाल बेटा बुद्धा हिस्सा बराबर दर्ज है। अतः विवादित भूमि के खातेदार वादिया एवं हरलाल थे। अन्य तनकीयात तनकी नंबर 2 व 3 के विवेचन

में विचारण न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि वादिया एवं उनके सरपरस्त हरलाल द्वारा दिनांक 15.5.50 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी/रेस्पोडेंट को विवादित भूमि का बेचान किया गया है, जिसका आधार रजिस्ट्रर्ड बेचान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–1 को माना है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15–5–50 प्रदर्श ए–1 हरलाल ने स्वयं व मोत्याबाई के वली के रूप में रतनलाल व आशाराम को पंजीबद्ध दस्तावेज से विक्रय किया व नामांतरकरण सं. 61 पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किया गया है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में वादिया/अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित करने, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय में निहित होने, बेचान दिनांक 15.5.50 को होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सन् 1955 में लागू होने से इस बेचान पर धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होने सम्बन्धी समस्त तथ्यों का दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य पर आधारित विधि सम्मत विवेचन किया है। विवादित भूमि का बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व वर्ष 1950 में होने के कारण उक्त बेचान पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था । इसके अलावा विवादित भूमि के खातेदार द्वारा उक्त भूमि का बेचान करते ही कब्जा रेस्पोंडेंट को संभला दिया गया था। रेस्पोडेंट द्वारा उचित प्रतिफल अदा करने के बाद ही विवादित भूमि का विक्रय मूल खातेदार द्वारा किया जाना स्पष्ट है। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज, साक्ष्य, रिकार्ड आदि को दृष्टिगत रखते हुये दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के साथ निष्कर्ष अंकित करते हुये वादी का वाद साबित नहीं होने की स्थिति में खारिज किया है, जिसकी प्रस्तुत प्रथम अपील, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुये खारिज की गई है।

7– इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी बांरा ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–7–02 पारित करने में तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 16–11–05 से

योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें विधि या तथ्य संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं होती हैं, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8— परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष